आज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम – भदेसर जिला चित्तौडगढ

वगता वगैरा || बनाम || हरा वगैरा

किस्म मुकदमा 128 एल.आर.ए. नम्बर. 24/2019 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज 2019/00329	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/5/19	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद रईस ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0ए0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात मौजा मानजी का गुढा पटवार हल्का नन्नाणा में रिथत खाता संख्या 64 में अंकित आराजी नम्बर 309, 310, 307, 308 मीन, कुल किता–4 कुल **रकवा 1.61 हैक्टैयर भूमि** रिथत होकर विपक्षीगण पडोसी है। ताईद में नकल जमावन्दी एवं नक्शा ट्रेस संलग्न है। उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण से आये दिन सीमा संबंधी विवाद होता है उक्त विवाद से वचने के लिए आराजीयात की पत्थरगढी कराई जावे । प्रार्थी की वहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । जैर वहस आलौच्य आराजी प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड होकर उन्हें नपती कराने का स्वत्व निहीत है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.ए. स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भदेसर को 2000/– अक्षरे दो हजार रूपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान् को अपने स्तर पर सूचना पत्र जारी किए जाकर उनकी मौजूदगी में मौजा मानजी का गुढा पटवार हल्का नन्नाणा में रिथत खाता संख्या 64 में अंकित आराजी नम्बर 309, 310, 307, 308 मीन, कुल किता–4 कुल **रक़बा 1.61 हैक्टैयर** भूमि की नक्शा वन्दोवस्ती अनुसार विना किसी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी दिये भूमि की वाद पैमूदगी पत्थरगढी कराई जावे तथा पत्थरगढी के पत्रादि एवं पक्षकारान् के सूचना पत्र न्यायालय में एक माह में प्रस्तुत करें । इसी आशय का हुक्मनामा जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । उपखण्ड अधिकारी भदेसर	

Scanned by CamScanner